न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. सुरेन्द्र भास्कर

मु.न. 150/2024

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी तेतरा

बनाम

बीरबल सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं —— अप्रार्थी

——

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

——

आदेश

दिनांक 16.06.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तेतरा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम तेतरा के भूमि ख0न0 109 रकबा 0.11 किस्म गै.मु. रास्ता में से 50 वर्ग मीटर पर बीरबल सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी तेतरा ने टीनशेड बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान को नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया।

गैरसायल बीरबल सिंह पुत्र नारायण सिंह द्वारा दिनांक 03.06.2025 को जवाब प्रस्तुत किया कि खसरा न. 109 का रास्ता 80 वर्ष से प्रचलन में नहीं है तथा रास्ता मेरे घर में कहां से है यह मुझे मालूम नहीं है मेरा निर्माण कार्य 30 वर्ष से है तथा सुरेन्द्र सिंह के घर पर उसके दादाजी का निर्माण 60 वर्ष से है अतः हमारे को रास्ते के अतिक्रमण का ध्यान नहीं है। क्योंकि मेरे 65 वर्ष की उम्र में रास्ता कभी खुला नहीं देखा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि/चारागाह/ गै.मु. जोहड़/गै0मु0 रास्ता पर अतिक्रमण नही कर सकता है। अतः गैरसायल को वादगस्त आराजी ख0न0 109 रकबा 0.11 है. किस्म गै.मु. रास्ता में से 50 वर्गमीटर में टीनशेड बनाने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारित किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 3/—रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पेनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावें। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराई जावें। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि गै.मु. रास्ता पर बनी टीनशेड को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सुरेन्द्र भास्कर)
तहसीलदार मंडावा
जिला झुंझुनू।
तहसीलदार मण्डावा
जिला झुंझुनूं

मा॰ 4 के पृष्ठ संख्या 24 पर राशि 3 रू वर्ष 25-26 में मांग कायम की गयी।
तहसील राजस्व लेखाकार